न्यायालयः—उत्सव चतुर्वेदी, अति. विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.एक्ट गरोठ जिला मंदसौर (म.प्र.)

CNR No. MP1408-001236-2022
Reg. No. BA/98/2022

दयाराम नागर पिता मांगीलाल नागर जाति धाकड़ उम्र—62 वर्ष
निवासी—ग्राम बोरखेड़ी थाना सुनेल जिला झालावाड़ (राज.)

आवेदक / प्रार्थी

विरुद्ध

राज्य द्वारा पुलिस थाना शामगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.) **अनावेदक / अभियोगी**

प्रतिलिपी आदेश दिनांक 15 / 07 / 2022

अपराध क्र. 191 / 2022
धारा— 8 / 20, 29 एन.डी.पी.एस.एक्ट

शासन की ओर से ए.जी.पी. श्री के.के. सुराना उपस्थित।

आवेदक / अभियुक्त दयाराम की ओर से अधिवक्ता श्री टी.एस. सिसौदिया उपस्थित।

प्रकरण आज आवेदक / अभियुक्त दयाराम की ओर से प्रस्तुत **प्रतिभूति आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं** पर विचार एवं आरक्षी केन्द्र से केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्रस्तुति हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र शामगढ़ से अपराध क्रमांक 191 / 2022 धारा 8 / 20, 29 एन.डी. पी.एस.एक्ट का केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त।

संबंधित पत्रावली प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत **नियमित प्रतिभूति आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं. प्र.सं** संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक / अभियुक्त का इस न्यायालय में यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, इसके अलावा अन्य किसी न्यायालय में कोई जमानत आवेदन पेश नहीं किया गया है। आवेदक / अभियुक्त 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है। आवेदक / अभियुक्त 60 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति है। आवेदक / अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक / अभियुक्त ग्राम बोरखेड़ी जिला झालावाड़ राजस्थान का निवासी होकर उसके परिवार की चल अचल संपत्ति वहीं स्थित है। आवेदक / अभियुक्त बीमार रहता है तथा उसका पूरा परिवार उस पर ही आश्रित है, ऐसी दशा में अगर आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया गया तो उस पर आश्रितजनों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। प्रकरण के अंतिम निराकरण में अभी काफी समय लगने की संभावना है। जमानत पर रिहा किए जाने पर आवेदक / अभियुक्त कहीं भाग कर जाने वाला नहीं है न ही अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने वाला है। अतः जमानत आवेदन पत्र 439 दं.प्र.सं. स्वीकार किया जावे।

आवेदन पत्र के साथ आवेदक / अभियुक्त की पत्नी मधुबाई पति दयाराम निवासी बोरखेड़ी तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ ने शपथ पत्र पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि आवेदक / अभियुक्त द्वारा पूर्व में इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही विचाराधीन है न ही निराकृत हुआ है। आवेदक / अभियुक्त की ओर यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है।

तर्क के दौरान आवेदक अधिवक्ता ने प्रतिभूति आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह भी व्यक्त किया कि आवेदक / अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः पालन करेगा और भविष्य में अनुपस्थित नहीं होगा।

जबकि एजीपी ने आवेदन का विरोध करते हुए प्रतिभूति आवेदन को निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

आवेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन एवं उक्त आवेदन के संबंध में उभयपक्षों द्व ारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन करें तो यह दर्शित होता है कि दिनांक 06.06.2022 को आरक्षी केन्द्र शामगढ़ के उपनिरीक्षक रितेश नागर द्वारा रेलवे अंडर ब्रिज के पास ढाबला गुर्जर आम रोड शामगढ़ पर मय फोर्स के वाहन चैकिंग के एक मारूती ओमनी वेन क्रमांक आर.जे. 20 यू.ए. 8321 आती दिखी, जिसका चालक पुलिस को देखकर उसको टर्न करने का प्रयास

करने लगा, शंका होने पर उपनिरीक्षक द्वारा फोर्स की मदद से उक्त मारूती ओमनी वेन को घेराबंदी कर रोकने पर वाहन के अंदर चालक व उसके पास वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दिए, जिनसे नाम पता पूछने पर चालक द्वारा अपना नाम रतनलाल पिता नाथुलाल तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मनीष पिता मांगीलाल होना बताया। उक्त व्यक्तियों व उनके आधिपत्य की मारूती वेन की तलाशी लेने पर वेन के पीछे की सीट के नीचे एक प्लास्टिक के सफेद रंग के खाद के कट्टे में प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में से कुल 12 कि.ग्रा. अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया, जिसके तहत अभियुक्त रतनलाल व मनीष को संपूर्ण कार्यवाही उपरांत गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध पुलिस थाना शामगढ़ में अपराध क्रमांक 191/2022 धारा 8/20, 29 एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

विवेचना के दौरान दिनांक 08.06.2022 को अभियुक्तगण मनीष व रतनलाल से पूछताछ करने पर उनके द्वारा ग्राम बोरखेड़ी के दयाराम नागर जाति धाकड़ से उक्त बरामद गांजा खरीदकर लाना तथा चांदखेड़ी के बनादास को देने के लिए मारूती ओमनी वेन से जाना बताया, उक्त बताए गए तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त दयाराम नागर को अपराध में संलिप्त कर गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण अभी अनुसंधान के प्रक्रम पर लंबित है।

आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने तथा प्रकरण के अवलोकन पश्चात् दर्शित होता है कि आरक्षी केन्द्र शामगढ़ द्वारा प्रकरण के सहअभियुक्तगण रतनलाल व मनीष की आधिपत्य की मारूती ओमनी वेन क्रमांक आर.जे. 20 यू.ए. 8321 में से मानव जीवन के लिए घातक अवैध मादक पदार्थ कुल 12 कि.ग्रा. गांजा को बिना लाइसेंस के परिवहन कर ले जाते हुए बरामद किया गया है तथा अभियुक्तगण रतनलाल व मनीष द्वारा अपने धारा 27 साक्ष्य विधान के मेमोरेंडम में उक्त मादक पदार्थ को आवेदक/अभियुक्त दयाराम से क्रय करना बताया गया गया है, इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त दयाराम पर अवैध मादक पदार्थ गांजा के क्रय–विक्रय व परिवहन में संलिप्त होने के अपराध का अभियोग है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में अनुसंधान के दौरान एकत्रित साक्ष्य, जप्त मादक सामग्री की मात्रा, अभियोजित अपराध की प्रकृति व गंभीरता तथा प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त दयाराम को नियमित प्रतिभूति का लाभ दिया जाना न्यायोचित दर्शित नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त दयाराम की ओर से प्रस्तुत **नियमित प्रतिभूति आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. अस्वीकार कर निरस्त** किया जाता है।

कैफियत की एक प्रति प्रकरण के साथ संलग्न की जावे।

केस डायरी मय आदेश की प्रति के संबंधित थाना को वापस की जावे।

आदेश की एक संबंधित पत्रावली के साथ संलग्न की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार भेजा जावे।

एसडी/–
(उत्सव चतुर्वेदी)
अति.विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट
गरोठ, जिला मन्दसौर (म.प्र.)

पृ. क...../2022, **गरोठ दिनांक 15.07.2022**

प्रतिलिपि :–

1. पुलिस थाना शामगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(उत्सव चतुर्वेदी)
अति.विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट
गरोठ, जिला मन्दसौर (म.प्र.)